

सन्दर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई/2023/ 907

दिनांक: 09.12.2023

सेवा में,

श्री रामेश्वर पुत्र स्व. रघुनंदन सिंह,  
निवासी अच्छेजा, तहसील हापुड,  
जिला हापुड (उ. प्र.), मो. न. 9899955509

विषय : आपके आर. टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिंदु न. 1 से 7 तक की जानकारी मांगी है । इस अनुसार आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गयी जानकारी
1	खसरा संख्या 37, 41, 42, 43 में किस किस तारीख को गड्ढे खोदने शुरू किये तथा किस तारीख को फाउंडेशन बन कर तैयार हुए थे	समस्त जानकारी आपकी पिछली RTI के जवाब पत्र संख्या PMSTL/RTI/2023/32 दिनांक 13.09.2023 एवं PMSL/RTI/2023 दिनांक 06.11.2023 को दे दी गयी है .
2	उपरोक्त खम्बो पर लाइन इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग किस तारीख को शुरू किया आया तथा किस तारीख को पूर्ण किया गया	
3	जवार चारा ,धान , गेहूं व ईख की फसल का मुआवजा किस वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है .	
4	खसरा नंबर 41, 42, 43, 37 की फसल सत्यापन आख्या तहसील हापुड की छाया प्रति जो लेखपाल गयी थी	

5.	खसरा नंबर 41 मे जगदीश, सीताराम , रामावतार, रामकुमार, रामेश्वर, मूलचंद को कितने कितने वर्ग मीटर , कौन सी फसल का कितना कितना धन दिया गया है .
6.	खसरा नंबर 41, 42 , 43 , 48 मे खम्बा तैयार करने मे मेरी ईख की फसल खसरा नंबर 43 मे नुकसान हुआ उसका कितना मुआवजा आवेदक का बनाया गया है .

### अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के.मिश्रा,

कार्यकारी निदेशक (उ.क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे. 1.मुख्यालय,  
SCO बे.संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद, हरियाणा-121002, फोन न.0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय



(अशोक कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक/सी.ई.ओ. एवं  
पदनामित सी. पी. आई ओ, पी. एम.एस.टी. एल,  
मेरठ, फोन.न.

**अशोक कुमार** | **Ashok Kumar**  
सी.ई.ओ. | CEO

सन्दर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई/2023

दिनांक: 06.11.2023

सेवा में,

श्री रामेश्वर पुत्र स्व. रघुनंदन सिंह,  
निवासी अच्छेजा, तहसील हापुड,  
जिला हापुड (उ. प्र.), मो. न. 9899955509

विषय : आपके आर. टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिंदु न. 1 से 7 तक की जानकारी मांगी है । इस अनुसार आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गयी जानकारी
1	खसरा संख्या 37, 41, 42, 43 मे खम्बे फाउंडेशन खुदाई तैयार होने की तारीख अलग अलग चारो मे प्रदान की जाये	फाउंडेशन का कार्य उपरोक्त खसरो मे इन माह मे किया गया था:- खसरा संख्या 37 - फरवरी 2022 खसरा संख्या 41 - जून 2022 खसरा संख्या 42 - जून 2022 खसरा संख्या 43 - मई एवं जून 2022
2	खम्बो पर किस तारीख को लाइन इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य शुरू हुआ किस तारीख को पूर्ण हुआ , चारो मे किस तारीख से शुरू हुआ , किसमय पूरा किया गया	इरेक्शन का कार्य उपरोक्त खसरो मे इन माह मे किया गया था: - खसरा संख्या 37 - मई 2022 खसरा संख्या 41 - सितम्बर 2022 खसरा संख्या 42 - सितम्बर 2022 खसरा संख्या 43 - सितम्बर 2022

उत्तरी क्षेत्र-1, मुख्यालय : एस.सी.ओ.बे. संख्या 5 से 10, सेक्टर-16 ए, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) दूरभाष-0129-2666500  
Northern Region-I H.Q., SCO Bay No. 5 to 10, Sector-16A, Faridabad-121002. Ph. : 0129-2666500पंजीकृत कार्यालय: बी-9, खुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, मई दिल्ली-110016, दूरभाष: 011-26560112, 2560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121  
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016, Tel. : 011-26560112, 2560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121  
Website: www.powergridindia.com

		स्ट्रिंगिंग का कार्य उपरोक्त खसरो में इन माह में किया गया था: - खसरा संख्या 37 - अक्टूबर 2022 खसरा संख्या 41 - अक्टूबर व नवंबर 2022 खसरा संख्या 42 - अक्टूबर व नवंबर 2022 खसरा संख्या 43 - अक्टूबर व नवंबर 2022
3	जवार बाजरा सरसो गन्ना गेहू धान की फसल का मुआवजा प्रति वर्ग मीटर किस हिसाब से दिया जाता है।	जिला कृषि अधिकारी / उद्यान अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन रिपोर्ट एवं फसलों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाता है
4	तहसील हापुड की फसल नुकसान का सत्यापन पैमाइश की आख्या उपरोक्त चारो खसरो की छाया प्रति उपलब्ध कराये	यह सार्वजनिक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है एवं आपसे सम्बंधित नहीं है।
5.	खसरा नंबर 41 में जगदीश, सीताराम, रामावतार, रामकुमार, रामेश्वर, मूलचंद फाउंडेशन नुकसान राशि अलग अलग कितने वर्ग मीटर पर कितनी धनराशि दी गयी तथा लाइन इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग में कितने कितने वर्ग मीटर की कितनी कितनी धनराशि अदा की गयी अलग अलग	उक्त खसरा नंबर 41 के मुआवजा वितरण की सारी जानकारी आपकी पिछली RTI के जवाब पत्र संख्या PMSTL/RTI/2023/32(दिनांक - 13.09.2023) में दी जा चुकी है।
6.	खसरा संख्या 43 में रामेश्वर व मूलचंद के हिस्से में ईख बोर्ड मिली जिसकी पैमाइश लेखपाल / विद्युत् विभाग अधिकारी के सामने की गयी, मूलचंद को किस कारन नहीं दिया गया है।	मूलचंद जी से सम्बंधित कोई नोटिस हमारे रिकॉर्ड में नहीं पाया गया है।
7.	खसरा नंबर 41 में फाउंडेशन का गेहू की फसल का नुकसान शिवकुमार त्यागी को दिया गया तोह जगदीश, सीताराम, रामावतार, रामकुमार,	उक्त सभी को कोई फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है।

A

रामेश्वर, मूलचंद को किस फसल का फाउंडेशन नुकसान दिया गया।
---

### अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,

कार्यकारी निदेशक (उ.क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे. 1, मुख्यालय,  
SCO ब्. संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद, हरियाणा-121002, फोन नं. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

(अशोक कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक/सी.ई.ओ. एवं  
पदनामित सी. पी. आई ओ, पी. एम.एस.टी. एल,  
मेरठ, फोन.न.



सन्दर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई/2023/ 3 2-

दिनांक: 13.09.2023

सेवा में,

श्री रामेश्वर पुत्र स्व. रघुनंदन सिंह,  
निवासी अच्छेजा, तहसील हापुड,  
जिला हापुड (उ. प्र.), मो. न. 9899955509

विषय : आपके आर. टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2023 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत बिंदु न. 1 से 5 तक की जानकारी मांगी है। इस अनुसार आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गयी जानकारी
1	खसरा नंबर 41 में DC 1 का खम्बा लगा है। 85 % मुआवजा जमीन का कितना बनाया गया है तथा फसल का कितना मुआवजा तथा कौन सी फसलों का किस किस को फसल का मुआवजा दिया गया है तथा कितना कितना	(i) खसरा नंबर 41 में DC1 के खम्बे का 85% जमीन के मुआवजे का भुगतान (नियमानुसार जो बनेगा) अभी तक नहीं किया गया है। जरूरी कार्यवाही एवं दस्तावेज प्राप्त करने के उपांत प्रभावित किसान को जमीन से सम्बंधित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। (ii) क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-1) में निहित है।
2	खसरा नंबर 43 में दो खम्बे लगे हैं। 85 % मुआवजा जमीन का कितना बनाया गया है तथा कौन कौन सी फसल का मुआवजा कितना कितना किस किस को दिया गया है	(i) खसरा संख्या 43 के अंतर्गत दो खम्बे LI 2/0 एवं LO 2/0 आते हैं जिनका 85 % जमीन का मुआवजे का भुगतान (नियमानुसार जो बनेगा) अभी तक नहीं किया गया है। जरूरी कार्यवाही एवं दस्तावेज प्राप्त करने के उपांत प्रभावित किसान को जमीन से सम्बंधित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

उत्तरी क्षेत्र-1, मुख्यालय : एस.सी.ओ.बे. संख्या 5 से 10, सेक्टर-16 ए, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) दूरभाष-0129-2666500

Northern Region-I H.C., SCO Bay No. 5 to 10, Sector-16A, Faridabad-121002. Ph. : 0129-2666500

पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016, दूरभाष: 011-26560112, 2560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121  
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016, Tel.: 011-26560112, 2560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121

Website: www.powergridindia.com

		(ii) क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-2) में निहित है।
3	प्राथी को खसरा नंबर 41 व 43 में कोई फसल मुआवजा नहीं मिला है। मेरा कितना कितना बनाया गया है।	खसरा संख्या 41 से सम्बंधित तहसील द्वारा सत्यापित फाइल मुआवजा हेतु लंबित है। तहसील के सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा जारी उत्पादन रिपोर्ट एवं फसलों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एवं खसरा संख्या 41 से सम्बंधित मामलो का न्यायालय द्वारा निस्तारण के बाद ही मुआवजा वितरित किया जायेगा।  खसरा संख्या 43 में आपसे सम्बंधित फसल क्षतिग्रस्त कि एवज में रिकॉर्ड अनुसार कोई मुआवजा देय नहीं है।
4	खसरा नंबर 37 में DC 2 खम्बा लगा है मे कौन सी फसलों तथा कितना मुआवजा दिया गया है।	खसरा संख्या 37 में क्षतिग्रस्त फसल से सम्बंधित मुआवजा वितरण की जानकारी अनुलग्नक-1 (तालिका-3) में निहित है।
5.	खसरा नंबर 43 में एक शीशम का पेड़ करीब 40 वर्ष पुराना लाइन के निचे आ गया है उसका मुआवजा कितना तथा किस किस को दिया है। शीशम का पेड़ मेरे कुर्रे में आया है।	गांव में कुर्रेबंदी लंबित होने के कारण मुआवजा वितरण नहीं किया गया है।

#### अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,  
कार्यकारी निदेशक (उ.क्षे. 1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ.क्षे. 1. मुख्यालय,  
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद, हरियाणा-121002, फोन नं. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय  
३ वाटर १३/०५/२३  
(अशोक कुमार)  
मुख्य महाप्रबंधक/सी.ई.ओ. एवं  
पदनामित सी. पी. आई ओ, पी. एम.एस.टी. एल,  
मेरठ, फोन.न.

अनुसूचक-1

तालिका-1

बिंदु न. 1: फसल क्षतिग्रस्त की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1	श्री शिव कुमार त्यागी	रु.2549.00	गेहूं	फाउंडेशन कार्य
2	श्री रामकुमार त्यागी	रु.13893.00	धान	इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य
3	श्री जगदीश त्यागी	रु.62139.00	धान	
4	श्री रामावतार त्यागी	रु.2455.00	धान	
5.	श्री सीताराम त्यागी	रु.32786.00	धान	

तालिका-2

बिंदु न. 2: खसरा संख्या 43 में क्षतिग्रस्त फसल की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1	श्री जोगेन्द्र सिंह	रु.4609.00	जवार/चारा/बाजरा	फाउंडेशन कार्य
2	श्री महेंद्र सिंह	रु.9813.00	जवार/चारा/बाजरा	
3	श्री विनीत गर्ग	रु.26181.00	जवार/चारा/बाजरा	
4.	श्री महेंद्र सिंह	रु.117633.00	गन्ना	इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य
5.	श्री जोगेन्द्र सिंह	रु.56505.00	गन्ना	
6.	श्री मति सावित्री देवी	रु.3022.00	धान	
7.	श्री विनीत गर्ग	रु.98444.00	धान व गन्ना	

तालिका-3

बिंदु न. 4: खसरा संख्या 37 में क्षतिग्रस्त फसल की एवज में मुआवजे से सम्बंधित जानकारी:

बिंदु न.	प्रभावित किसान का नाम	मुआवजा राशि	फसल का प्रकार	किस कार्य के दौरान
1.	खसरा संख्या 37 में फाउंडेशन कार्य के दौरान गेहूं एवं सरसो की फसल क्षतिग्रस्त की एवज में कुल रु.96489.00 का भुगतान किया गया ।			
2.	खसरा संख्या 37 में इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य (DC 2/0 to DC 1/0 एवं DC 2/0 to 3/0) के दौरान धान की फसल क्षतिग्रस्त की एवज में कुल रु.136483.00 का भुगतान किया गया ।			

S.K. Jaiswal,  
Senior HM, PMSTL

Ahshat Tyagi,  
Senior HM, DMSTL